Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X (Print), Impact Factor: 7.866, Volume 15, No. 03, July-September, 2025, pp. 221-227

दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

डॉ. छगन लाल कुमावत[1*] एवं बनवारी लाल बैरवा[2]

[1]निर्देशक एवं सहायक प्रोफेसर, श्री अग्रसेन स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.) केशव विद्यापीठ, जामडोली, जयपुर, राजस्थान।
[2]पीएच.डी (शोधार्थी), शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

[*]Corresponding Author: banwari7184@gmail.com

Citation: *कुमावतछगन, & बैरवाबनवारी. (2025). दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अ/ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति का अ/ययन. Journal of Modern Management & Entrepreneurship, 15(03), 221–227. https://doi.org/10.62823/jmme/15.03.8039*

सार

किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। मानव–संसाधन के विकास में शिक्षा को सदैव ही अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया है। वस्तुतः शिक्षा किसी भी समुदाय के विकास का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यही कारण है कि भारतीय समाज में जन सामान्य के साथ–साथ निर्बल वर्गों की शिक्षा का भी विशेष ध्यान दिया गया जिससे समाज के निर्बल वर्ग का भी चहुँमुखी विकास हो सके तथा वह राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। निर्बल वर्ग से तात्पर्य समाज के उन व्यक्तियों से है जो सामाजिक, आर्थिक अथवा धार्मिक परिस्थिति के कारण उन्नति नहीं कर सके। हमारे देश का सामाजिक ढाँचा जन्मप्रदत्त जातियों पर आधारित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उच्चों क्रम की वर्णव्यवस्था में शूद्र साधनहीन, शक्तिहीन, धनहीन तथा प्रतिष्ठाहीन थे। अन्य वर्गो ने इन्हें अस्पृश्य मान लिया तथा शताब्दियों तक इनका शोषण करते रहे। शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान सामाजिक, राजनीतिक चेतना ने निर्बल वर्गों की स्थिति को काफी प्रभावित किया है। सामाजिक रूढियों में परिवर्तन आया तथा प्रगतिशीलता के कारण समाज के चिंतन में उदारीकरण का प्रादुर्भाव हुआ। ईसाई मिशनरियों ने धर्म–प्रचार हेतु हिन्दु–समाज के निम्न वर्ग में घुसपैठ करने के लिए शिक्षा का सहारा लिया। समाज की मुख्यधारा से कटे दलितों तथा निर्बल वर्ग की स्थिति को समझकर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में उन्हें प्रवेश दिया। शिक्षा सामाजिक संतुलन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है इसलिए निर्बल वर्ग के उत्थान के लिये शैक्षिक कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया।

शब्दकोशः *शिक्षक प्रशिक्षण, सामाजिक स्वतंत्रता, मानव–संसाधन, राष्ट्रीय शिक्षा संस्था, शैक्षिक कार्यक्रम।*

प्रस्तावना

सामाजिक स्वतंत्रता का अर्थ है समाज में व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, शिक्षा, अवसर एवं समान व्यवहार प्राप्त होना। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए है परन्तु व्यवहारिक जीवन में सामाजिक संरचना, जातिय भेदभाव एवं परम्पराएं अक्सर स्वतंत्रत की वास्तविक अनुभूति में बाधा बनती है।

[*] *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

विषय का परिचय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसी अधिकार के अनुसार बालक चाहे किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो प्रत्येक क्षेत्र में समता का अधिकार प्राप्त है। कहा गया है कि बालक एक बीज के समान है जिस प्रकार एक बीज के फल तथा फूल उत्पन्न करने वाला वृक्ष समाहित होता है। उसी प्रकार एक बालक के अन्दर विकास की अनगिनत क्षमताएं एवं योग्यताएं विद्यमान रहती है। इन्हीं सम्भावनाओं तथा क्षमताओं का विकास करने के लिये शिक्षा को एक आवश्यक अंग माना गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से ही बालक को शैक्षिक सुविधाएं सुलभ कराने तथा इनको शोषण से बचाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। किसी देश के सम्पूर्ण विकास का अनुमान उस देश के बालकों की स्थिति से लगाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि बालक ही समाज का दर्पण माने जाते हैं। बालकों की सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य तथा पोषण की स्थिति में सुधार हो तथा उनका भविष्य बेहतर बने इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं, नियमन तथा कानून समय–समय पर बनाये जाते हैं। बालकों का भविष्य सुखमय तथा उज्ज्वल हो एवं उन्हें अनेक कानूनी अधिकार भी प्रदान किए गए है। बालकों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण न हो पाए इसके लिए कुछ संवैधानिक प्रयास भी किए गए है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालाकों को किसी श्रम में लगाना या किसी कारखाने में अथवा खान इत्यादि में कार्य कराना कानूनी अपराध है। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिये संविधान के अनुच्छेद 29(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी बच्चे को उसके धर्म, वंश, भाषा तथा जाति के आधार पर शिक्षा संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। बच्चों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (30) में किया गया है। कि 14 वर्ष से कम आयु के बालको का शरीर कोमल तथा मन अपरिपक्व होता है अतः उनका शोषण से बचाव किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(च) में यह उल्लेख किया गया हैं कि बालक को स्वतंत्र और स्वस्थ्य वातावरण में सुदृढ़ विकास के लिए उचित अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इसी तरह अल्पायु के बालकों की शोषण से रक्षा कराये इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39 (2) में बालकों को उनकी आयु के अनुसार कार्य में संलग्न करने का उत्तरदायित्व राज्य का बताया गया है। तथा बच्चों को उनके स्वास्थ्य विकास के लिए उचित एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिये कहा गया है। शिक्षा प्रत्येक बालक को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुच्छेद 45 में लिखा गया है कि 14 साल तक की आयु के सभी बालकों को निशुल्क एवं अनिवार्यता दी जाए।

इन सब नियमों के बावजूद बालकों का, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े है, उनका शारीरिक एवं मानसिक शोषण हो रहा है। इतने प्रयासों के बाद भी बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे है। विचारणीय तथ्य यह है कि कानून केवल किताबों में ही उपस्थित है परन्तु वास्तविक परिपेक्ष्य में यह कभी उतना सफल नहीं हो पा रहा हैं इन नियमों को कानूनी कागजी कार्यवाही मानकर इनकी उपेक्षा की जा रही है। "स्वतंत्रता के बिना समानता एक भ्रम है, और समानता के बिना स्वतंत्रता एक धोखा है।" मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। सब राजनीति उस समय तक विफल रहेगी, जब तक कि भारत में जन साधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा।'' –स्वामी विवेकानन्द

हमारे देश के हजारों देश भक्तों ने स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी दी अब इससे अक्षुण्ण बनाये रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। तथा विद्यालयों में शिक्षण, खेलकूद, कम्प्यूटर शिक्षा, पाठ्यसहगामी क्रियाऐं व सहगामी गतिविधियों आदि के आयोजन में वांछित गम्भीरता मुझे दिखाई नहीं दी। सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था का भी प्रायः अभाव दिखाई दिया, अतः इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है। शिक्षण के प्रभावी या अप्रभावी होने में शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षा नीति चाहे कितनी भी सुदृढ़ हो लेकिन यदि

सम्बन्धित व्यक्तियों को अपने दायित्वों का सही बोध नहीं होगा एवं नीतियों के प्रति प्रतिबद्वता नहीं होगी तो शिक्षा नीति खोखली नजर आयेगी सामान्यतय शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विषय में निष्णात् हो और शैक्षिक दक्षताओं में कुशल हो। किसी भी राष्ट्र के धरातल की नींव के पत्थर राष्ट्र के गुणी एवं दक्ष शिक्षक होते है।

समस्या कथन

''दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन''

शोध का उद्देश्य

शोध पत्र में निम्न उद्देश्यों हेतु कार्य किया गया है :

- **दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना।**
  - **परिकल्पनाएं** :– उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया।
  - **उपकरण :–** परिकल्पनाओं की जांच के लिये इस शोध पत्र में निम्न परीक्षण का प्रयोग किया गया है।
  - **सामाजिक स्वतंत्रता** :– स्वनिर्मित अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया ।
  - **न्यादर्श :–** इस पत्र हेतु यादृच्छिक न्यादर्श का प्रयोग करते हुये दौसा जिले के 200 प्रशिक्षणार्थियों को न्यादर्श के रुप में रखा गया है।

आंकडों से प्राप्त परिणाम

$H_0$1: दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

तालिका 1: दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति प्रदर्शित करने वाली तालिका

क्र.स.	आयाम	सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थी (N=100)		अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थी (N=100)		टी मान (सार्थकता स्तर)
		मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन	
	कुल आयाम	98.4	2.95	96.2	3.3	4.97
1	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	8.6	0.97	8.2	0.95	2.95
2	संगठित होने की स्वतंत्रता	12.9	1.66	12	0.94	4.72
3	धर्म की स्वतंत्रता	31.2	1.09	30.1	1.8	5.23
4	आवागमन की स्वतंत्रता	12.2	1.29	11.2	0.92	6.19
5	कानून का समान संरक्षण की स्वतंत्रता	17.9	1.99	17.2	1.03	3.12
6	सामाजिक सुरक्षा की स्वतंत्रता	16.5	1.85	15.2	1.48	5.49

स्वतंत्रता के अंश 198 हेतु आवश्यक 'टी' का तालिका मान

0.05–1.98 0.01–2.63

विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका से ज्ञात होता है कि सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति मापनी के समग्र क्षेत्रों का ज मूल्य 4.97 ज्ञात किया गया है जो कि तालिका के 0.05 स्तर पर t मूल्य से अधिक है इससे स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों में सार्थक अन्तर है।

- तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दौसा जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता मापनी के प्रथम आयाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मध्यमान 8.6 व मानक विचलन 0.97 है एवं अनुसूचित जाति का मध्यमान 8.2 व मानक विचलन 0.95 है। इस आधार पर टी के मान की गणना करने पर 2.95 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 198 पर टी मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से अधिक है। अतः दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अन्तर पाया गया है।

- तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दौसा जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता मापनी के द्वितीय आयाम संगठित होने की स्वतंत्रता का मध्यमान 12.9 व मानक विचलन 1.66 है एवं अनुसूचित जाति का मध्यमान 12.00 व मानक विचलन 0.94 है। इस आधार पर टी के मान की गणना करने पर 4.72 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 198 पर टी मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से अधिक है। अतः दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की संगठित होने की स्वतंत्रता में अन्तर पाया गया है।

- तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दौसा जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता मापनी के तृतीय आयाम धर्म की स्वतंत्रता का मध्यमान 31.2 व मानक विचलन 1.09 है एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की धर्म की स्वतंत्रता का मध्यमान 30.1 व मानक विचलन 1.8 है। इस आधार पर टी के मान की गणना करने पर 5.23 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 198 पर टी मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से अधिक है। अतः दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की धर्म की स्वतंत्रता में अन्तर पाया गया है।

- तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दौसा जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता मापनी के चतुर्थ आयाम आवागमन की स्वतंत्रता का मध्यमान 12.2 व मानक विचलन 1.29 है एवं अनुसूचित जाति का मध्यमान 11.2 व मानक विचलन 0.92 है। इस आधार पर टी के मान की गणना करने पर 6.19 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 198 पर टी मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से अधिक है। अतः दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की आवागमन की स्वतंत्रता में अन्तर पाया गया है।

- तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दौसा जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता मापनी के पंचम आयाम कानून का समान संरक्षण की स्वतंत्रता का मध्यमान 17.9 व मानक विचलन 1.99 है एवं अनुसूचित जाति का मध्यमान 17.8 व मानक विचलन 1.03 है। इस आधार पर टी के मान की गणना करने पर 3.12 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 798 पर टी मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से अधिक है। अतः दौसा जिले में

संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की कानून का समान संरक्षण की स्वतंत्रता में अन्तर पाया गया है।

- तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि दौसा जिले के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता मापनी के षष्ठम आयाम सामाजिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का मध्यमान 16.5 व मानक विचलन 1.85 है एवं अनुसूचित जाति का मध्यमान 15.2 व मानक विचलन 1.48 है। इस आधार पर टी के मान की गणना करने पर 5.49 प्राप्त हुआ है, जो स्वतंत्रता के अंश 798 पर टी मान 0.05 सार्थकता स्तर पर 1.96 से अधिक है। अतः दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक सुरक्षा की स्वतंत्रता में अन्तर पाया गया है।

दौसा जिले में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् सामान्य एवं अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति के सभी आयामों को प्रदर्शित करने वाला आरेखीय निरुपण

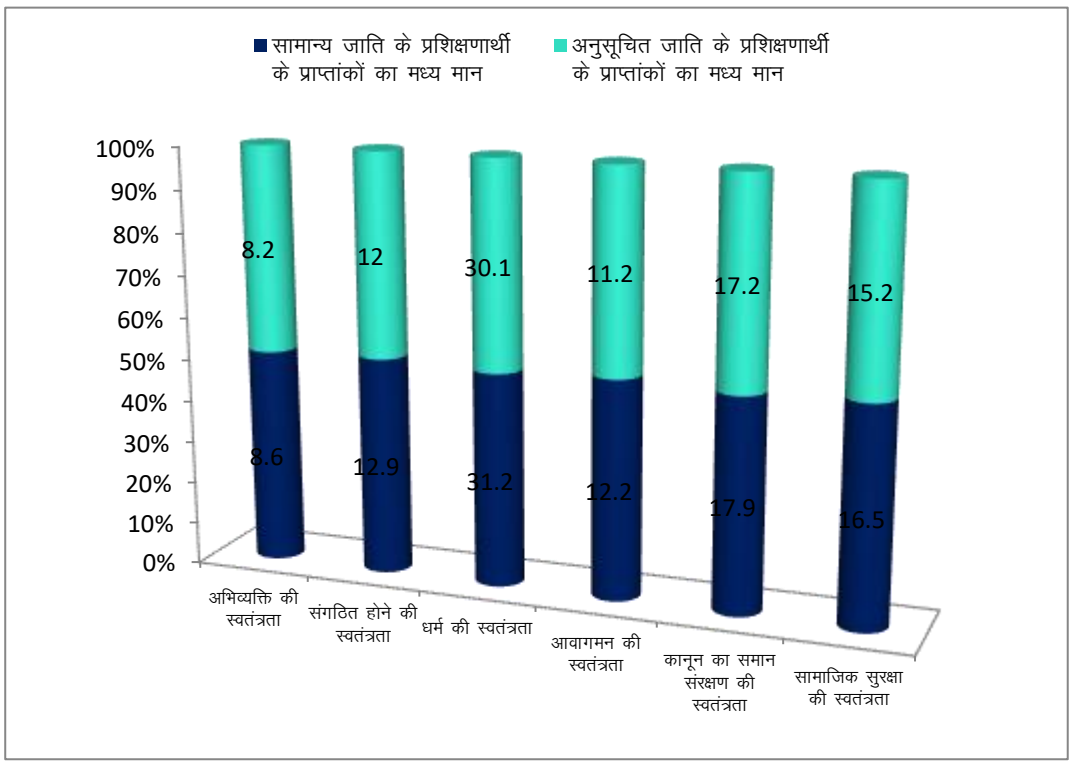

आरेख संख्या

शोध की शैक्षिक निहितार्थ

नीति निर्माताओं के लिए सामाजिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों में लागू किया जा सकता है– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ़ साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और आलोचनात्मक सोच विकसित करने वाली शिक्षा भी शामिल है। गरीब और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए

छात्रवृत्ति, मुफ्त ट्यूशन और स्कूल भोजन कार्यक्रम जैसी य यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के मंदिरों, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच मिले। जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर बिना भेदभाव के सभी के लिए समान रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। छोटे व्यवसायों और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले ऋण और वित्तीय सहायता की योजनाएं शुरू करनी चाहिए।जनाएं शुरू की जानी चाहिए। इससे सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे।

शैक्षिक निहितार्थ बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण हो सकती है। यह अध्ययन शिक्षा प्रणाली, समावेशी वातावरण के निर्माण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

शैक्षिक उपयोगिता

इस अध्ययन के मुख्य शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं:

- समावेशी वातावरण का निर्माण यह अध्ययन शिक्षकों, प्रशिक्षकों और संस्थान के प्रशासकों को सामान्य और अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में उनकी मानसिकता को समझने में मदद करेगा। इस समझ से वे शैक्षणिक संस्थानों में एक समानता–आधारित और समावेशी वातावरण बनाने के लिए उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सभी प्रशिक्षणार्थी, बिना किसी सामाजिक पूर्वाग्रह के, अपनी भावनाओं, विचारों और क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें।
- पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में सुधार अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, सहिष्णुता, और विविधता का सम्मान जैसे मूल्यों को पाठ्यक्रम में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल किया जा सकता है। यदि किसी समूह (जैसे अनुसूचित जाति) के प्रशिक्षणार्थियों में सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति पाई जाती है, तो शिक्षकों को संवेदनशील शिक्षण विधियों (जैसे वाद–विवाद, भूमिका–निर्वहन, समूह चर्चा) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह प्रशिक्षणार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने और सामाजिक रूढ़ियों पर सवाल उठाने में सहायता करेगा।
- यह शोध उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करेगा जो प्रशिक्षणार्थियों की सामाजिक स्वतंत्रता के प्रति अभिवृत्ति को प्रभावित करते हैं (जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, मीडिया प्रभाव)। इन कारकों को संबोधित करने के लिए परामर्श और मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षण और संवेदीकरण निष्कर्षों का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे के मॉड्यूल को अद्यतन करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षकों को विभिन्न सामाजिक समूहों की सांस्कृतिक संवेदनशीलता और सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। एक संवेदनशील शिक्षक कक्षा में उत्पन्न होने वाले पूर्वाग्रहों और भेदभावों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, जिससे सभी के लिए सीखने का अनुभव सकारात्मक बनता है।
- यह अध्ययन शैक्षणिक नीतियों और संस्थानों के नियमों को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने के लिए साक्ष्य–आधारित जानकारी प्रदान कर सकता है। नीति निर्माता इस ज्ञान का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकते हैं कि शिक्षा के अवसर और सामाजिक भागीदारी बिना किसी भेदभाव के सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए सुलभ हों। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छम्च्) के समानता और समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान देगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. Ambedkar B.R. (1990). Annihilation of caste (M. F. G. Singh, Ed.). Samyak Prakashan. (Original work published 1936)
2. Gandhi M.K. (1938). Hind swaraj: Or Indian home rule (L. C. Doke, Trans.). Navajivan Publishing House. (Original work published 1909)
3. Singh Y. (2002) Modernization of Indian tradition: A systemic study of social change. Thomson Press (1950). The Constitution of India. Retrieved from https://www.quora.com/How-do-you-tell-the-importance-of-an-official-document
4. Berlin, I (2002). The protestant ethic and the spirit of capitalism (S. Kalberg, Trans.). Roxbury. (Original work published 1905)
5. Foucault M. (1995). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books. (Original work published 1975)

❑❑❑